

73 वॉ राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेला-2025

दुकान आवंटन हेतु निर्धारित शर्तें

1. संस्था के आवेदक होने की दशा में आवेदक को संस्था द्वारा दुकान संचालन हेतु लिखित रूप में अधिकृत होना चाहिए, सम्बन्धी अधिकृत पत्र आवेदक के पास होना आवश्यक है।
2. दुकान केवल आवंटी/फर्म द्वारा ही संचालित की जायेगी। ऐसा न होने पर रुपये 50,000.00 (पचास हजार रुपये) का अर्थदण्ड वसूला जायेगा।
3. एक आवेदक अधिकतम 02 दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है। किन्तु 02 दिनों हेतु आवेदन करने पर दूसरी दुकान इस शर्त पर आवंटित की जायेगी कि दोनों दुकानें एक ही स्थल पर हो एवं एक-दूसरे से मिली हुई हो दूसरी दुकान अन्यत्र स्थान पर किसी भी दशा में आवंटित नहीं की जायेगी।
4. यदि कोई भी व्यक्ति/फर्म निर्धारित 02 से अधिक दुकानों का संचालन करते हुए पाया गया तो प्रत्येक अतिरिक्त दुकान के लिए सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म से रुपये 50,000.00 (पचास हजार रुपये) का दण्ड वसूलते हुए पूर्व में आवंटित दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं उक्त दुकानें किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को आवंटित कर दी जायेगी।
5. आवंटी को दिनांक 13-11-2025 की सायं तक अनिवार्य रूप से आवंटित दुकान को तैयार करना होगा।
6. दुकान/स्टॉल आवंटन निरस्त होने पर आवेदन शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।
7. आवंटी को जिस प्रयोजन हेतु दुकान आवंटित की गयी है, केवल उसी प्रयोजन हेतु उपयोग कर सकेगा अन्यथा दुकान आवंटन निरस्त किया जायेगा।
8. दुकान के आवेदन के लिए आवेदक द्वारा स्वयं की दुकान/फर्म का जी0एस0टी0/पेनकार्ड लगाना आवश्यक होगा।
9. वर्तमान में नगर क्षेत्रान्तर्गत पॉलिथीन पूर्णतया से प्रतिबन्धित है, पकड़े जाने पर रु0 500.00 से 50,000.00 के अर्थदण्ड/कार्यवाही की जायेगी।
10. आवंटित दुकान किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने पर या विक्रय करने पर दण्ड के रूप में रुपये 50,000.00 (पचास हजार रुपये) का अर्थदण्ड आवंटी से वसूला जायेगा तथा आवंटी के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी। अर्थदण्ड जमा न करने पर दण्ड की धनराशि भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूला जायेगा।
11. दुकान आवंटन प्रपत्र/रसीद मेला अवधि के दौरान दुकान पर ही रखनी होगी तथा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
12. सट्टा-जुआ या कोई भी प्रतिबन्धित सामाग्री दुकान/स्टाल में नहीं लगाये जायेंगे व अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णरूप से प्रतिबन्धित होगी। पकड़े जाने पर आवकारी नियमों अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
13. किसी भी शर्त का उलंघन करने पर आवंटित दुकान को तत्काल निरस्त कर किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित किया जा सकता है, जिसका पूर्ण अधिकार मेलाधिकारी गौचर मेला/उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग को होगा।
14. दुकान आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने गृह जनपद के स्थानीय थाने/तहसील कार्यालय से चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य होगा।
15. प्रत्येक आवंटित दुकान पर आवंटी द्वारा अग्निरोधी व्यवस्थाओं हेतु प्रत्येक दुकान पर 02 (दो) रेत से भरी बाल्टियों एवं 02 (दो) Fire Extinguisher Cylinder रखने अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर मेला/समिति द्वारा धनराशि रुपये 50,000.00 (पचास हजार रुपये) का जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा।


मेलाधिकारी गौचर मेला/
उप जिलाधिकारी,
कर्णप्रयाग।